पत्रिका

जांच में हल्दी नकली निकली, बस स्टैंड पर मावा पकड़ा, मोर बाजार में सैंपल लिए

खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने बस स्टैंड पर लावारिस हालत में रखा मावे को जब्त किया और दूसरी टीम ने मोर बाजार में सैंपल लिए। इसके अलावा भोपाल प्रयोगशाला से हल्दी की जांच रिपोर्ट आने पर विक्रय प्रतिबंधित किया है। इस हल्दी को नकली रंग से पीला किया गया था। पत्रिका ने होली पर मावे पर कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर 26 फरवरी को खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद खाद्य विभाग ने मावे को पकड़ने की कार्रवाई की है।

खाद्य विभाग को मुखबिर ने सूचना दी कि बस स्टैंड पर लावारिस स्थिति में मावा रखा हुआ है। इस सूचना पर लोकेन्द्र सिंह, निरूपमा शर्मा और दिनेश सिंह निम की टीम ने बस स्टैंड ग्वालियर पर दबिश दी। यहां सड़क किनारे 22 डालियों में रखा करीब 880 किलो मावा और मीठा मावा लावारिस हालत में मिला, जिसकी कीमत लगभग 1.76 लाख रुपए आंकी गई है। टीम ने आसपास खड़ी बसों के स्टाफ और मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी मावा का मालिक सामने नहीं आया। करीब दो घंटे इंतजार के बाद पूरा स्टॉक जब्त कर न्यू कलेक्ट्रेट स्थित खाद्य सुरक्षा प्रशासन कार्यालय (कक्ष 221) लाया गया। विभाग ने साफ किया है कि संबंधित व्यक्ति 24 घंटे के भीतर वैध दस्तावेजों के साथ दावा पेश करे, अन्यथा नियमानुसार मावा का नष्ट कर दिया जाएगा। बस स्टैंड पर बाहर से आने वाली बसों और लोडिंग वाहनों की भी सघन जांच की गई। उधर, दूसरे दल बृजेश कुमार शिरोमणि, गोविन्द नारायण सरगैयां, सतीश धाकड़ और सतीश कुमार शर्मा ने मोर बाजार में मावा दुकानों पर छापामार निरीक्षण किया। जैन मावा भंडार, साई मावा भंडार, राठौर मावा भंडार, महावीर मावा भंडार और मनोज मावा भंडार से नमूने लिए गए। सभी सैंपल जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे जाएंगे।

Source: https://www.patrika.com/gwalior-news/turmeric-was-found-to-be-fake-in-the-investigation-mawa-was-caught-at-the-bus-stand-samples-were-taken-in-mor-bazaar-20389117